कृषि रक्षा अनुभाग द्वारा संचालित योजना, विभिन्न पारिस्थितिकीय संसाधनों द्वारा कीट/रोग नियंत्रण योजना वर्ष 2017–2018 की कार्य योजना

प्रस्तावना :–

उत्तर प्रदेश का मूल आधार कृषि है, तथा लगभग 65 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आधारित हैं। देश की बढ़ती जनसंख्या के खाद्यान्न की आवश्यकता की प्रतिपूर्ति हेतु कीट, रोग एवं खरपतवार की रोकथाम हेतु कृषि रक्षा रसायनों के प्रयोग से उत्पादन में आशोतीत वृद्धि हुई।

विदित है कि प्रदेश में प्रति वर्ष फसलों में कीट रोग तथा खरपतवारों आदि द्वारा लगभग 15 से 20 प्रतिशत क्षति होती हैं, जिसमें लगभग 33 प्रतिशत खरपतवारों, 26 प्रतिशत रोगों, 20 प्रतिशत कीटों, 7 प्रतिशत भण्डारण के कीटों, 6 प्रतिशत चूहों तथा 8 प्रतिशत अन्य कारक सम्मिलित हैं।

इस योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्त निम्नवत् हैं :–

1. योजनान्तर्गत यह प्रयास किया जायेगा कि आगामी वर्षो में बायोपेस्टीसाइडस् एवं बायोएजेण्टसस् के प्रयोग को भरपूर प्रचार–प्रसार करते हुए खपत को बढ़ाया जायेगा तथा कृषि रक्षा रसायनों के प्रयोग में यथा सम्भव कमी लाने का प्रयास किया जायेगा।
2. ऐसे कृषि रक्षा रसायनों जिसके कन्टेनर/पैकेट पर नर ककांल की आकृति के साथ जहर लिखा हो तथा लाल श्रेणी में वर्गीकृत हैं और उनका विकल्प उपलब्ध हैं तो उन कृषि रक्षा रसायनों के प्रयोग में यथा सम्भव कमी लायी जायेगी तथा इस श्रेणी के रसायन के वितरण को प्रोत्साहित नही किया जायेगा।
3. आई.पी.एम. प्रयोगशालाओं में बायोपेस्टीसाइड तथा ट्राइकोडरमा हारजियेनम, ब्यूवेरिया बैसियाना, एन0पी0वी0, स्यूडोमोनास फलोरिसेसं, मेटाराइजियम एनिसोप्ली, वर्टीसिलियम लैकानी एवं बायोएजेण्ट, ट्राइकोग्रामा का उत्पादन बढ़ाया जायेगा। इसके लिए यथोचित कार्मिक व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए आई0पी0एम0 प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ किया जायेगा।

उद्देश्य :–

1. अन्तर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप खाद्य उत्पादन को बढावा देकर निर्यात द्वारा विदेशी मुद्रा का अर्जन कर कृषकों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना।
2. पर्यावरण को विषैले कीटनाशक रसायनों से होने वाले कुप्रभाव को कम करना।

3. कृषि लागत को कम करके किसानों को अधिक आर्थिक लाभ पहुचाने का प्रयास करना।
4. मृदा संरचना में सुधार करना।
5. जनसंख्या के अनुपात में कृषि उत्पादन की मन्द गति को बढ़ाकर सकल राष्ट्रीय उत्पादन में राज्य की प्रतिशतता में बढ़ोत्तरी करना।
6. एकीकृत नाशीजीव प्रबन्धन के अन्तर्गत जैव रसायन से कृषकों को सुरक्षित एवं विष रहित खाद्यान्न उत्पादन में सहयोग प्रदान करना।
7. किसानों में प्रक्षेत्रों से लाभ के प्रति आत्मविश्वास में वृद्धि करना।

अनुदान के लिए कृषकों की पात्रता :– जनपद के प्रत्येक वर्ग एवं श्रेणी के कृषक बीजशोधन हेतु तथा अन्य कार्यमदों में लघु एवं सीमान्त कृषक, जिसमें अनु0जा0/ज0जा0 तथा महिला कृषक सम्मिलित हों अनुदान के लिये पात्र होगें।

जिला कृषि रक्षा अधिकारी,
गौतमबुद्धनगर।